



प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

PM/VI/2012-13/OG-GO/

दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of Enhancement of Freedom Fighter Pension & Medical Allowance.

Ref:- 1. Government of Rajasthan General Admn (Group 6) 4(4)GAD/6/2008
dt.31.5.2012.

2. PAG (A&E) Rajasthan SSA No PA/State/FF/Guard File/2001-12/709
dt 17.05.2012

I am herewith enclosing a Government Order issued by the Government of Rajasthan, Jaipur in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To
Joint Director,
M J Road, Jambagh
Pension Payment Office,
Nampally,
Hyderabad

for information and necessary action.

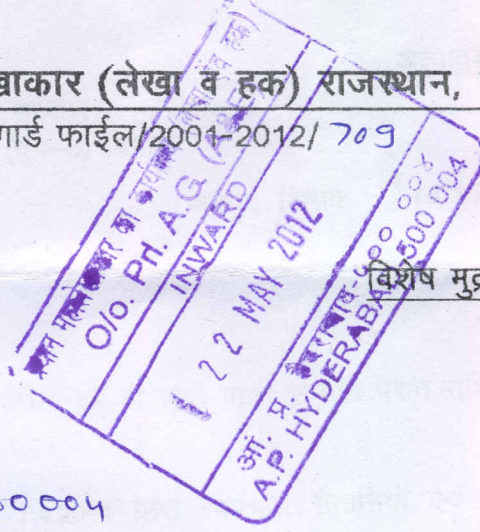
Sr Accounts Officer

रजिस्टर्ड

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक:-पेंशन प्राधिकृति/स्टेट/एफ.एक./गार्ड फाईल/2001-2012/ 709

दिनांक:- 17/5/12



विशेष मुद्रा प्राधिकृति के अंतर्गत

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),

Andhra Pradesh

Saifabad, Hyderabad 500004

विषय:- दिनांक 1.4.2012 से स्वतन्त्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन एवं चिकित्सा सहायता राशि में वृद्धि किये जाने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन उपसचिव, राजस्थान सरकार, सामान्य प्रशासन (गुप - 6) विभाग जयपुर ने उनके पत्र क्रमांक प-4 (4)साप्र/6/2008 दिनांक 3.5.2012 द्वारा स्वतन्त्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन में दिनांक 1.4.2012 से वर्तमान में मिल रही रू. 15,000/- प्रतिमाह से वृद्धि कर रू. 17,000/- प्रतिमाह किये जाने तथा चिकित्सा सहायता रू. 1000/- से बढ़ाकर रू. 3000/- प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति दी है ।

उक्त आदेशों की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।

संलग्न:- एक

भवदीय,

के.एन.के.ए.

लेखाधिकारी/पेंशन प्राधि.

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: प0 4(4)साप्र/6/2008

जयपुर, दिनांक 31/5/2012

निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन राशि में वृद्धि किये जाने बाबत।

महोदय,

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 7.4.2011 द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य मद से देय सम्मान पेंशन राशि रुपये 15,000/- को बढ़ाकर रुपये 17,000/- (अक्षरे सत्रह हजार मात्र) प्रतिमाह किये जाने एवं चिकित्सा सहायता के रूप में वर्तमान में देय रुपये 1,000/- को बढ़ाकर रुपये 3000/- (अक्षरे तीन हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह दिनांक 1.4.2012 से किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा निदेशानुसार प्रदान की जाती है।

उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष के बजट मद 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-107-स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना (01) स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों आदि को पेंशन सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से, 24-पेंशन एवं उपादान, (आयोजना भिन्न) से वहन किया जावेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग द्वारा उनकी आई. डी. क्रमांक 181200357 दिनांक 27.4.2012 पर दी गई सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर को 100 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-2/बजट डिवीजन) विभाग।
8. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग वित्त विभाग से अतिरिक्त बजट प्रावधान की कार्यवाही कराने हेतु (नोट शीट 132-33/एन तक संलग्न)।
10. नोडल अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग वेवसाइट, को वेवसाइट पर डलवाने बाबत।
11. अध्यक्ष, स्वतंत्रता सेनानी संगठन, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव